# पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org


PTCUL

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांकः 14 .07.2020

विषय :–प्रदेश में शासकीय कार्यालयों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों को खोले जाने एवं कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश सं0 239/XXXi(15)G-04(सा0)/2020 दिनांक 02.05.2020, 240/XXXi(15)G-04(सा0)/2020 दिनांक 03.05.2020, 241/XXXi(15)G-04 (सा0)/2020 दिनांक 08.05.2020 एवं 262/XXXi(15)G-04(सा0)/2020 दिनांक 29.05.2020 निर्गत किये गये हैं, जिनके अनुपालन में पिटकुल में आदेश संख्या 487/मा0सं0एवंप्र0अनु0/ पिटकुल/जी–4 दिनांक 20.05.2020 एवं आदेश संख्या 558/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांक 01.06.2020 द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त के तारतम्य् में अवगत कराना है कि वर्तमान में सचिव (प्रभारी), सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 383/xxxi(15)G –04(सा0)/2020 दिनांक 13.07.2020 के द्वारा निम्नवत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं:–

1. कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में शासकीय कार्यालयों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 239/XXXi(15)G-04(सा0)/2020 दिनांक 02.05.2020 एवं 262/XXXi(15)G-04(सा0)/2020 दिनांक 29.05.2020 में दी गयी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुये दिनांक 14 जुलाई, 2020 से प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय में समूह "क" एवं "ख" के अधिकारीगण शत प्रतिशत तथा समूह "ग" एवं "घ" की उपस्थिति 75 प्रतिशत सुनिश्चित की जाएगी।
2. इसके अतिरिक्त किसी भी ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो, केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय में बुलाई जा सकेगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। शेष शर्तें शासनादेश संख्या 239/XXXi(15)G-04(सा0)/2020 दिनांक 02.05.2020 व सहपठित शासनादेशों के अनुसार यथावत रहेंगी।
3. साथ ही शासकीय कार्यों हेतु विभिन्न बैठकों में भी निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जायें:–
   (क) जहाँ तक सम्भव हो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जायें।
   (ख) यदि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग संभव न हो तो बैठक की अवधि यथासंभव कम से कम रखी जायें।
   (ग) बैठक कक्ष में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानको (कम से कम दो गज की दूरी) के अनुसार की जायें।
   (घ) बैठक में सभी प्रतिभागियों के द्वारा निश्चित रूप से फेस मास्क/फेस कवर का प्रयोग किया जायें।

क्रमशः.....2/–

(ड.) बैठक कक्ष में केवल आवश्यक अधिकारियों / कर्मचारियों को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाये।

(च) बैठक कक्ष को नियमानुसार सेनिटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(छ) बैठक कक्ष में वेंटिलेशन की सुचारू व्यवस्था होनी आवश्यक है।

अतः कारपोरेशन के पत्रांक 487 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 दिनांक 20.05.2020 एवं आदेश संख्या 558 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 दिनांक 01.06.2020 के अनुक्रम में सचिव (प्रभारी), सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 383 / xxxi(15)G –04(सा0) / 2020 दिनांक 13.07.2020 की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का स्वयं पालन करते हुये अपने अधीनस्थ कार्मिकों से भी अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

सलग्नकः–यथोपरि।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 811 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त) / (परिचालन) / (परियोजना) / (मा0सं0), पिटकुल, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देशों के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को संलग्नक सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–383/XXXi(15)G–04(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग — देहरादूनः दिनांक 13 जुलाई, 2020

विषयः– प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश के शासकीय कार्यालयों को खोलने पर सावधानी बरतने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–239/XXXi (15)G–04(सा0)/2020 दिनांक 02 मई, 2020 एवं शासनादेश संख्या–240/XXXi(15)G–04(सा0)/2020 दिनांक 03 मई, 2020, शासनादेश संख्या–241/XXXi(15)G–04(सा0)/2020 दिनांक 08 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या–262/XXXi(15)G– 04(सा0)/2020 दिनांक 29 मई, 2020 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य में कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–239/XXXi(15)G– 04(सा0)/2020 दिनांक 02 मई, 2020 एवं शासनादेश संख्या–262/XXXi(15)G–04(सा0)/2020 दिनांक 29 मई, 2020 दी गयी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए दिनांक 14 जुलाई, 2020 से प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारीगण शत प्रतिशत तथा समूह 'ग' एवं 'घ' की उपस्थिति 75 प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी।

3– इसके अतिरिक्त किसी भी ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो, केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाई जा सकेंगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालयों में नही बुलाया जाएगा। शेष शर्तें शासनादेश संख्या–239/XXXi (15)G–04(सा0) /2020 दिनांक 02 मई, 2020 व सहपठित शासनादेशों के अनुसार यथावत रहेगी।

4– साथ ही शासकीय कार्यो हेतु विभिन्न बैठकों में भी निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जायें:–

(क) जहाँ तक संभव हो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही की जायें।

(ख) यदि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग संभव न हो तो बैठक की अवधि यथासंभव कम से कम रखी जायें।

(ग) बैठक कक्ष में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानको (कम से कम दो गज की दूरी) के अनुसार की जायें।

(घ) बैठक में सभी प्रतिभागियों के द्वारा निश्चित रूप से फेस मास्क/फेस कवर का प्रयोग किया जाये।

कार्यालय निदेशक (मा0स0)
पत्र प्राप्ति की दिनांक 14.07.20
डायरी संख्या 884

SPO/Sh. Kamb, OS
14/7

14/7/2020

(ङ) बैठक मे केवल आवश्यक अधिकारियों / कर्मचारियों को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाये।

(च) बैठक कक्ष को नियमानुसार सैनिटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(छ) बैठक कक्ष मे वेंटिलेशन की सुचारू व्यवस्था होनी आवश्यक है।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)।

**संख्या- /xxxi(15)G-04(सा0)/2020 तददिनांक।**

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रिगण महोदय के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)।